न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

विविध प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–सतना

विविध – 6528/2018/सतना/भू.रा.

1 सुनीता सिंह पत्नी स्व. त्रिभुवन सिंह पुत्र वधु स्व. ददउआ उर्फ ददुआ राजपूत पिता स्व. जगतदेव पुत्र गौरी शंकर

2 वर्षा सिंह पुत्री स्व. त्रिभुवन सिंह

3 उमा गोपाल सिंह स्व. त्रिभुवन सिंह

4 पार्वती सिंह पुत्र स्व. त्रिभुवन सिंह

5 जयराम सिंह पुत्र स्व. त्रिभुवन सिंह

निवासीगण– ग्राम सोनौरा तहसील रघुराज नगर जिला – सतना (म.प्र.)

––आवेदकगण

विरूद्ध

म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर जिला सतना म.प्र.

–– अनावेदक

न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2656/दो/2016 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 03.11.2016 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता की धारा 8 के अन्तर्गत आवेदन पत्र।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह आवेदन पत्र निम्न तथ्यों एवं आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है :–

मामले के संक्षिप्त तथ्य :

1. यहकि, आराजी नं. 155 रकवा 6.68 एकड़ एवं आराजी नं. 156 रकवा 0.52 एकड़ कुल किता 2 जुमला रकवा 7.20 एकड़ आवेदिका की पैत्रिक भूमि है, क्योंकि यह भूमि आवेदिका के ससुर की पैत्रिक भूमि है यह भूमि ददुआ के पिता के नाम दर्ज थी। जो रीवा रियासत में थी वहीं नाम खतौनी में दर्ज होना था खतौनी में सुधार करना है खतौनी में गलत नाम है, उपरोक्त भूमि आवेदकगण के प्रथम पूर्वज गौरीशंकर के नाम पर दर्ज थी। और वहीं उसके मालिक व काबिज दखिल थे। (खतौनी रियासत रीवा सम्बत् 1983–2002 की फोटो प्रति संलग्न है)
2. यहकि, उपरोक्त भूमि आवेदिका के ससुर की पैत्रिक भूमि है क्योंकि यह भूमि

(91)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - विविध-6528/2018/सतना/भू.रा.

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
14-08-2019	प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री के.के.द्विवेदी एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री राजीव शर्मा उपस्थित । प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आवेदक द्वारा यह प्रकरण राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण क्रमांक 2656/दो/2016 पुर्नविलोकन में पारित आदेश दिनांक 03-11-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत किया गया है । मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपने आदेश पंजिका दिनांक 30-08-2011 में स्पष्ट किया है आवेदक द्वारा सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो निरस्त किया गया था तथा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील क्रमांक 124ए/2002 भी व्यवहार न्यायालय में निरस्त कर वादग्रस्त भूमि को शासकीय माना गया था । अपर आयुक्त द्वारा आवेदक की अपील अवधि बाह्य मानकर अग्राह्य की गई । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 23-05-2016 को आदेश पारित कर अपर आयुक्त का आदेश स्थिर रखते हुए आवेदक की अपील निरस्त की गई । जिसके विरूद्ध आवेदक द्वारा राजस्व मण्डल में पुर्नविलोकन प्रस्तुत किया गया । राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 03-11-2016 को आदेश पारित कर म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 पुर्नविलोकन के आधार विद्यमान न होने के कारण पुर्नविलोकन प्रकरण को अग्राह्य किया गया । उपरोक्त परीक्षण उपरांत प्रकरण को ग्राह्य करने हेतु कोई तथ्य प्रकट न होने के कारण यह प्रकरण बलहीन व आधारहीन प्रतीत होता है । अत: धारा 8 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया आधारहीन व औचित्यहीन होने से अग्राह्य किया जाता है । **(महेश चंद्र चौधरी)** **सदस्य**	